⑦ कई स्थानों पर पाठशालाएँ बहुत दूरी पर स्थित होती हैं. आने-जाने की उत्तम सुविधा नहीं होती. मार्ग में लड़कियों का आना जाना बहुत असुरक्षित होता है, अतः छोटी-2 लड़कियों को वहां पढ़ने नहीं भेजा जाता है। कई शहरों, कस्बों के आवारा और अपराध प्रवृत्ति के लड़कों / लोगों का आतंक रहता है।

⑧ बहुत सी लड़कियों को कई शिक्षिकाएँ प्रायः मारती पिटती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। ताने मारती हैं। निर्धन होने के कारण उन लड़कियों को डांटती-डपटती रहती हैं। और उनसे झाड़ू आदि भी करने को बाध्य करती हैं। जिससे घर कार्य न करके लाने पर या आवश्यक पुस्तकें, स्टेशनरी, या पाठशाला द्वारा समय-समय पर मंगवाये गये चन्दे (जो अनुचित है) न ला पाने पर उनको प्रताड़ित करती हैं। इससे लड़कियों की हिम्मत टूट जाती है और वे पढ़ना छोड़कर बैठ जाती हैं। कुछ वर्ष पहले दिल्ली की एक सरकारी पाठशाला की शिक्षिका ने एक किशोर लड़की को कक्षा में कपड़े उतारने व नंगा होने का दंड दिया था। जिसकी बहुत निन्दा थी।

⑨ अधिकतर निम्नवर्ग के परिवारों तथा ग्रामीण और गन्दी बस्तियों की लड़कियों का उच्चारण ठीक नहीं होता, भाषा ज्ञान ठीक नहीं होता. गणित,

अंग्रेजी, विज्ञान, विषय कठिन लगते हैं। अतः 8
उनके कारण वे पाठशाला जाना बन्द कर देती हैं।

(10) भारत में लगभग 80% लड़कियों के बाल-विवाह होते हैं। 8-10 आयु की बालिकाओं के भी विवाह हो जाते हैं। अतः इनके कारण वे पाठशाला जाना बन्द कर देती है।

(11) यद्यपि भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार अब तक 18 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह गैर-कानूनी माना जाता है। तथापि अभी हाल में ही देहली हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में एक मामले में एक चौंका देने वाली निर्णय दे दिया है। कि 15 वर्ष से अधिक की लड़की का विवाह अवैध नहीं माना जा सकता यदि लड़की ने अपनी सहमति से इच्छा कर लिया हो। कई संस्थाएं व महत्वपूर्ण व्यक्ति इस निर्णय के विरोध में कानूनी कार्यवाही करने का प्रयास करने वाले हैं।

(12) कई वर्गों की लड़कियों जैसे पर्दानशीन मुस्लिम समाज, घुमन्तू वर्ग मजदूरों की लड़कियाँ, पिछड़े व फेंके गये कूड़ा-करकट बीनने वाली लड़कियाँ, भिखारियों, वेश्याओं और होटल नौकरानियों की लड़कियों और विकलांग लड़कियों को पाठशालाओं में जाकर पढ़ना प्रायः असम्भव है।

11 MON JUN '07

(5) गाँवों और कस्बों की अधिकांश सरकारी और निजी पाठशालाओं में बहुत घटिया स्तर की शिक्षा है। लड़कियाँ जिन वहाँ जाती है।

(6) अधिकांश पाठशालाओं में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होने के होने के कारण उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता है। और वे कुछ समय बाद उन्हें बैठती है। कई पाठशालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है।

लड़कियों की शिक्षा प्रोत्साहित करने वाले सरकारी प्रयास

12 TUE

* भारत में कई राज्यों में प्राथमिक स्तर तक, कुछ में माध्यमिक स्तर तक, कुछ में उच्च माध्यमिक स्तर तथा कुछ में कॉलेज स्तर तक निःशुल्क बनाया गया है। आप अपने राज्य के द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सरकारी शिक्षा विभाग में मुख्य कार्यालयों व जिला कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें।

* माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालाओं की छात्राओं को हॉस्टल तथा बोर्डिंग (भोजन) की सुविधाएं केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जा रही है।

* प्रत्येक परिवार की एकमात्र लड़की को कक्षा VI से XII तक निःशुल्क शिक्षा, सत्र 2005-06 से प्राप्त हो पायेगी।

* केन्द्रीय बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सभी पाठशालाओं को प्रत्येक ऐसी छात्रा की पूरी फीस माफ करनी पड़ेगी जो अपने माता-पिता की एकमात्र लड़की है।

* इसी प्रकार यदि किसी परिवार में दो लड़कियाँ हैं जो उपर्युक्त प्रकार की पाठशाला में पढ़ती हैं, तो इन दोनों की 50% फीस माफ होगी, उन्हें 50% फीस ही पाठशाला को देनी होगी। इस फीस में ट्यूशन फीस और अन्य सभी फीसें (यातायात और भोजन के शुल्क को छोड़कर) चाहे उनके कोई नाम हो, शामिल मानी जायेगी।

* ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स की ऐसी छात्रा को जो अपने परिवार की एकमात्र लड़की है, स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) प्रदान की जायेगी।

* उपर्युक्त सुविधाओं का व्यय इन संस्थाओं को स्वतः वहन करना पड़ेगा।

15
FRI

लिंग असमानता की चुनौतियों में पाठ्यक्रम की भूमिका :- JUN '07

i) जिस प्रजातन्त्रात्मक और समाजवादी आदर्श पर आधारित समाज की कल्पना की गई है उसमें शिक्षा ऐसी व्यक्तिगत क्षमताओं अभिवृत्तियों और रुचियों से सम्बन्धित होगी जिसका वास्तव में लिंग-भेद से कोई सम्बन्ध नहीं है। अत: ऐसे समाज की शिक्षा के लिंग-भेद के आधार पर पाठ्यक्रम में अन्तर करने की भी आवश्यकता नहीं है।

ii) वर्तमान संक्रमणकारी अवस्था में पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच मनोवैज्ञानिक अन्तर और इस अन्तर पर आधारित सामाजिक कार्यों के विभाजन को स्वीकार करना होगा तथा बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रम निर्माण का व्यावहारिक आधार बनाना होगा। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना होगा कि कालान्तर में जो मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ अत्यावश्यक हैं, उनका स्त्रियों एवं पुरुषों में अत्यधिक निर्माण हो रहा है, और ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे वर्तमान अन्तर हमेशा बना रहे या अधिक हो जाए।

DAY

'07 आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया है।

18 MON

i) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम एक ऐच्छिक विषय होगा। यह एक अतिप्रिय विषय है फिर भी इसे बालिकाओं के लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए।

ii) संगीत तथा ललित कला भी बालिकाओं के प्रिय विषय हैं। माध्यमिक स्तर पर इन विषयों की शिक्षा की सामान्य व्यवस्था है। इन विषयों को विस्तृत पैमाने पर सिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

19 TUE

iii) गणित एवं विज्ञान महत्वपूर्ण विषय हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर इनसे सम्बन्धित विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए। अतः बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गणित तथा विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने और इन विषयों की शिक्षिकाएँ तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।